APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – फलामादा

चन्द्री पत्नि उर्जन पुत्री जवारा गुर्जर
निवासी– बरसनी

बनाम

चन्ता पत्नि शम्भूलाल गुर्जर
निवासी– हटीकजी का खेडा

किस्म मुकदमा– वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 92ए रा.टि.ए.

प्रकरण संख्या– 04/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट फलामादा पर पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 चन्ता उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष के द्वारा अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात जवारा पिता सोनाथ के नाम दर्ज थी, जो वादीया व प्रतिवादी संख्या–3 के पिता है, खातेदार जवारा की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारियों ने मृतक जवारा की विरासत बिना जॉच किये विधि विरुद्ध जवारा के पुत्र बालु के नाम फैसल कर दिया, जबकि वादीया व प्रतिवादी संख्या–3 मृतक खातेदार की पुत्रीयॉ होने से उनका नाम भी समान हक हिस्से से दर्ज होना चाहिये था, वकील वादी का बहस में यह भी कथन था कि बालु पिता जवारा की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या– 1393 नाजायज तोर पर विधि के प्रावधानों के विपरित बिना जॉच किये प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 ने गलत जानकारी देकर अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि विधि के अनुसार प्रतिवादी संख्या– 1 बालु विधि पत्नि नही होकर नाजायज पत्नि थी तथा नाता विवाह को कानूनी मान्यता नही होने से प्रतिवादी संख्या– 1 का बालु की विरासत में कोई हक अधिकार नही था, प्रतिवादी–2 ने भी अपने आप को बालु का दत्तक पुत्र बताते हुये नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या–2 दत्तक जाने योग्य नही था। वकील वादी का यह भी कथन था कि प्रतिवादी संख्या– 1 चन्ता कई लोगो के नाते जाकर बालु के नाते आई थी, वह जहॉ जहॉ भी नाते गई उनकी सम्पति खुर्द बुर्द करती चली आ रही है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर जवारा व बालु की विरासत का नामान्तकरण को निरस्त करा कर जवारा पिता सोनाथ के नाम की समस्त आराजी वादीया व प्रतिवादी संख्या– 3 के नाम दर्ज करवाई जावें। उपस्थित प्रतिवादी संख्या–1 चन्ता ने वादीया के वाद को गलत बताते हुये बालु की पत्नि होना बताया गया ।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मैंने उभयपक्ष को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2031 – 2034 मौजा हाजियास तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर–297, 1321, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 1356, 1358, 1359, 1360 किता 11 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा भूमि जुवारा पिता सोनाथ गुर्जर साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 88 दिनांक 03.10.1977 विरासत से बालु पिता जुवारा, रुपी पत्नि जुवारा गुर्जर साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है, तथा नामान्तकरण संख्या– 382 दिनांक 10.05.1986 बंटवारा से बालु पुत्र जुवारा रुपी पत्नि जुवारा के हक हिस्से में आराजी नम्बर– 297/1, 1321/1, 1336/1, 1337/1, 1345, 1346, 1359/1, 1358 किता 8 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि हक हिस्से में आना प्रकट आया है।

यहाँ वादीया का कथन है कि वह मृतक खातेदार जुवारा की पुत्री है, उसका व उसकी बहन प्रतिवादी– 3 नानी का भी उक्त भूमि में समान हक हिस्सा निहित है, किन्तु राजस्व अधिकारियों ने जुवारा की विरासत का खाता जुवारा के पुत्र बालु व उसकी बेवा रुपी के नाम ही खोला गया।

चुँकि यहाँ यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि जुवारा पिता सोनाथ की खातेदार कब्जे कास्त की भूमि है, तथा मृतक खातेदार जुवारा के एक पुत्र बालु व दो पुत्रीया चन्द्री व नानी है, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पति में पुत्र, पुत्रीयो का समान हक हिस्सा माना गया है, किन्तु मृतक खातेदार जुवारा की विरासत का जो नामान्तकरण संख्या– 88 ग्राम पंचायत के द्वारा मृतक के पुत्र बालु व उसकी बेवा रुपी के नाम निर्मित किया गया है वह विधि विरुद्ध होकर वादीया के हको पर बेअसर व शून्य प्रभावी है।

यहाँ वकील वादीया का यह कथन है प्रतिवादी संख्या– 1 मृतक खातेदार बालु की विवाहिता पत्नि नही है। चन्ता कई लोगो से नाता विवाह करके बालु के नाते आई है, इसलिये बालु की सम्पति में उसका कोई हक अधिकार नही है, अपने कथनों की पुष्टि में उनके द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत जेतगढ, मोटरास की तस्दीक तथा रजिस्ट्रर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 24.01.2012 की फोटो प्रति उपलब्ध कराई गई, सरपंच ग्राम पंचायत मोटरास पंचायत समिति आसीन्द के द्वारा यह तस्दीक की गई कि चन्ता पुत्री हीरा गुर्जर निवासी मोटरास का विवाह राम्भूलाल पिता महाराम गुर्जर निवासी अम्रयगढ के साथ हुआ था 3– 4 वर्ष उसके आती जाती थी, उसके बाद गांव जेतगढ में श्रवण पिता कजोड गुर्जर के नाते चली गई, 2010 में वह पुनः राम्भूलाल के नाते आई और 6 माह रहकर बालु पिता जुवारा गुर्जर निवासी हाजियास के नाते चली गई । वादीगण के द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रर्ड

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

हक त्याग पत्र दिनांक 24.01.2012 के अनुसार श्रीमति चन्ता पत्नि तेजू गुर्जर निवासी कंवलियास के द्वारा मौजा कंवलियास तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 985, 988, 1841, 1842, 2372/362, 983 किता 6 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा भूमि मे से उसका हिस्सा जीवण पिता सुखदेव गुर्जर निवासी कंवलियास के पक्ष में हक त्याग किया जाना प्रकट आया है। सरपंच ग्राम पंचायत मोटरास के तस्दीक पत्र के अनुसार यह तो स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या– 1 चन्ता मृतक खातेदार बालु के विवाहित पत्नि नही होकर नातायत पत्नि है जो कई लोगो से नाता प्रथा से विवाह करती चली आ रही है, ऐसी नातायत पत्नि को मृतक खातेदार बालु की सम्पति में कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम– 1956 में दिये गये प्रावधानुसार नातायत पत्नि को कोई अधिकार मृतक की सम्पति में नही दिये गये है, तथा अनुसूची के वर्ग– 1 में विनिर्दिष्ट वारिसो में मृतक खातेदार के कोई वारिस जीवित नही है, अनुसूची के वर्ग– 2 (II) में विनिर्दिष्ट वारिसो मे मृतक की बहिने है, जो जिवित हैं, ऐसी स्थिति में मृतक खातेदार जुवारा पिता सोनाथ की विरासत का नामान्तकरण संख्या– 88 दिनांक 03.10.1977 तथा मृतक खातेदार बालु की विरासत का नामान्तकरण संख्या– 1393 वादीया व प्रतिवादी संख्या–3 के हक अधिकारों पर शून्य प्रभावी होने से निरस्त योग्य है, तद्नुसार दावा वादीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

"निर्णय"

दावा वादिया डिक्री किया जाकर मौजा हाजियास पटवार हल्का फलामादा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 297/1, 1321/1, 1336/1, 1337/1, 1345, 1346, 1359/1, 1358 किता 8 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि के खातेदार चन्ता बेवा बालु का नाम हटाया जाकर उक्त आराजी में वादीया व प्रतिवादी संख्या– 3 को 1/3, 1/3, हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे । तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट फलामादा पर सूनाया गया

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला–भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner